

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटपूतली-बहरोड

क्रमांक:सहायता/बाढ़/मरम्मत/2025/राजकाज

दिनांक:-SIGNED DATE

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सडकों, पुलिया एवं क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुर्नस्थापन हेतु इस कार्यालय से भिजवाये गये प्रस्ताव क्रमांक 1062 दिनांक 06.09.2025 के आधार पर आपदा प्रबन्धन विभाग जयपुर के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक एफ.8()आ.प्र. एवं सहा./ बाढ़/प्रस्ताव/2025 / RAJKAJ 18301306 जयपुर दिनांक 14.10.2025 के द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्राप्त हुई हैं।

1. सडकों हेतु:-

सार्वजनिक निर्माण विभाग, सानिवि खण्ड कोटपूतली तह, व ब्लॉक कोटपूतली के 13 कार्य हेतु राशि रूपये 97.73 लाख, सानिवि खण्ड बानसुर तह, व ब्लॉक बानसूर के 04 कार्य हेतु राशि रूपये 13.97 लाख कुल 17 कार्यों हेतु राशि रूपये 111.70 लाख (अक्षरे रूपये एक करोड़ ग्यारह लाख सतर हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई हैं।-

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	तहसील का नाम	क्षतिग्रस्त रोड का नाम मय लोकेशन	रोड का वर्गीकरण VR/NH /SH/ MDR/ Other	लम्बाई कुल कि.मी.	एस.डी. आर.ए. फ. नोर्म्स अनुसार मरम्मत हेतु राशि	तकनिकी स्वीकृति क्रमांक दिनांक		तकनिकी स्वीकृति राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
							क्रमांक	दिनांक		
1.	KOTPUTLI	KOTPUTLI	सुदूढीकरण एवं चौडाईकरण कार्य विराटनगर एन.एच.-248ए (पुराना एस. एच. -13) से हरियाणा बोर्डर वाया बडनगर पावटा द्वारिकापुरा नारेडा चिमनपुरा	MDR-175	35.00	35.00	374 /R-282	16.10.2025	35.00	
2.	KOTPUTLI	KOTPUTLI	एच 52 (ग्यानपुरा) से सीकर जिला सीमा वाया कराना, राजनोता, रघुनाथपुरा, भैसलाना, सुजातनगर, मीरापुर फार्म, सुदरपुरा, दांतिल, तालवा, एवं सिरसोडी	MDR-228	22.00	22.00	363 /R-271	16.10.2025	22.00	
3.	KOTPUTLI	KOTPUTLI	एक्स्टेंशन ऑफ कोटपूतली बानसूर रोड	MDR-229	13.00	13.00	365 /R-273	16.10.2025	13.00	



			(एमडीआर-25) से हरियाणा बोर्डर वाया चिमनपुरा वाया बनेठी रोड							
4.	KOTPUTLI	KOTPUTLI	चोटिया से बनेठी होते हुए हरियाणा सीमा तक	VR	4.00	2.40	362/R-270	16.10.2025	2.40	
5.	KOTPUTLI	KOTPUTLI	एआर नांगल पंडितपुरा हंसियावास तक	VR	6.00	3.60	373/R-281	16.10.2025	3.60	
6.	KOTPUTLI	KOTPUTLI	नांगल पंडितपुरा से नागरीवास	VR	4.00	2.40	372/R-280	16.10.2025	2.40	
7.	KOTPUTLI	KOTPUTLI	पनियाला से केशवाना राजपूत	VR	3.50	2.10	371/R-279	16.10.2025	2.10	
8.	KOTPUTLI	KOTPUTLI	एआर दादुका	VR	3.90	2.34	370/R-278	16.10.2025	2.34	
9.	KOTPUTLI	KOTPUTLI	कोटपूतली. बामनवास रोड से ढाणी मलाला तक	VR	4.60	2.76	368/R-276	16.10.2025	2.76	
10.	KOTPUTLI	KOTPUTLI	कोटपूतली.चिमनपुरा रोड से ढाणी खेमुका की	VR	3.90	2.34	369/R-277	16.10.2025	2.34	
11.	KOTPUTLI	KOTPUTLI	नागाजी की गोर से ढाणी अर्जुन जांगल तक	VR	4.15	2.49	364/R-272	16.10.2025	2.49	
12.	KOTPUTLI	KOTPUTLI	चोटिया देवता रोड छारदडा से हरियाणा बॉर्डर तक	VR	4.51	2.71	367/R-275	16.10.2025	2.71	
13.	KOTPUTLI	KOTPUTLI	कोटपूतली.सीकर रोड 37बी से चिमनपुरा वाया पूरण नगर खेड़ा निहालपुरा तक	VR	7.65	4.59	366/R-274	16.10.2025	4.59	
कुल योग						116.21			97.73	
1.	BANSUR	BANSUR	HAMIRPUR TO BAMANWAS	VR	5.50	3.30			0.69	
2.	BANSUR	BANSUR	ASHA KA BAS TO NATHUSAR	VR	4.59	2.75			0.44	
3.	BANSUR	BANSUR	MOTHUKA TO GUWADA VIA SUNDARI MATA MINDER	VR	6.20	3.72			1.32	

4.	BANSU R	BANSUR	SHYAMPUR A TO ALAMPUR	VR	7.00	4.20			1.30	
कुल योग					23.29				13.97	
महायोग					139.50				111.70	

अतः निम्नानुसार मरम्मत कार्य करवाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी—

1. विभाग द्वारा प्रति किलोमीटर की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया है। अतः सा.नि.वि. उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के रेस्टोरेशन पर न करें।
2. मरम्मत कार्य पेचवर्क द्वारा की करवाया जावें।
3. वे सड़के जो डिफेक्ट लाईब्लिटी अवधि के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं हैं।
4. बिल बनाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लिया जवे कि एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत ओरडनरी रिपेयर एण्ड पेरियोडिकल रिपेयर (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही हैं। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के रेस्टोरेशन हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2025 की पूर्ण पालना की जावें।
5. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
6. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें, ताकि कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
7. कार्यकारी एजेन्सी उपखण्ड स्तरीय समिति कके निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व आवश्यक प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
8. कार्य पूर्ण होते ही बिल तैयार कर उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जनप्रतिनिधि से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें, ताकि समय पर भुगतान करवाया जा सकें।
9. आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावें।
10. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।
11. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये सदैव खुले रहेंगे।
12. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-25 में निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा।
 - 2245— प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
 - 02— बाढ़/चक्रवात आदि।
 - 106— खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना
 - 08— (बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना)
 - 01— (सड़कों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना)
 - 21— अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड

दिनांक:-SIGNED DATE

क्रमांक:सहायता/सडक मरम्मत/2025/राजकाज

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र कोटपूतली, बहरोड, बानसुर, विराटनगर।
2. प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर को भेजकर निवेदन हैं कि आपके प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 18301306 जयपुर दिनांक 14.10.2025 की पालना में सडकों के कुल 17 कार्यों हेतु राशि रूपयें 111.70 लाख (अक्षरे रूपयें एक करोड़ ग्यारह लाख सतर हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई हैं। अतः भुगतान हेतु उक्त राशि का बजट आवंटन करने का श्रम करावें।
5. मुख्य अभियन्ता (एसएस) सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।
7. उप शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
8. प्रधान पंचायत समिति, कोटपूतली, पावटा, विराटनगर, बानसुर, नीमराणा, बहरोड।
9. अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त कोटपूतली-बहरोड।
10. अधीशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड कोटपूतली,बहरोड,बानसुर।
11. उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली/बहरोड/पावटा/नारायणपुर/विराटनगर/बानसुर / नीमराणा। समस्त जिला कोटपूतली-बहरोड।
12. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, कोटपूतली-बहरोड।
13. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड